



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं० 71 ]  
No. 71 ]नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 1997/माघ 16, 1918  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 1997/MAGHA 16, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना सं. 6/96-सी.शु. (एन. टी.)

चेन्नै, 10 दिसम्बर, 1996

का. आ. 81(अ).—एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94 सी. शु. (एन.टी.) के अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खण्ड (क) धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन जारी किए गए और भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित तमिलनाडु राज्य के चेंगै एम.जी.आर. जिले के चेंगलपेट तहसील के नावलूर गाँव को शत प्रतिशत निर्यातानुमुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भाण्डगार केन्द्र घोषित किया जाता है।

[मि.सी.सं. : VIII/40/36/96-सी.शु.]

आनन्द छाबड़ा, आयुक्त-II

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 6/96-CUS(NT)

Chennai, the 10th December, 1996

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94-Cus. (NT) dated 1st July, '94 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under Clause (a) Section 152 of Customs Act, 1962 Navalur Village, Chenglepattu Taluk, Chengai MGR District, in Tamilnadu is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% E.O.U.s approved by Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariat of Industrial Approval, New Delhi.

[F. C. No. VIII/40/36/96-Cus. Pol.]

A. K. CHHABRA, Commissioner-II

293 GI/97

